न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, नालन्दा (बिहारशरीफ)।

नियमित जमानत आवेदन सं0– 1468 / 2022

वर्तमान वाद गिरियक / पावापुरी थाना कांड सं0– 35 / 2021 धारा 419, 420 भा0द0वि0 से उद्भूत है।

राकेश कुमार ..... बनाम ..... बिहार सरकार

18.10.2022

दिनांक 24.09.2022 से कारावासित अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री मधुसूदन प्रसाद एवं विद्वान प्रभारी लोक अभियोजन श्री महेश सिंह यादव का सम्पूर्ण बहस सुना जो गिरियक / पावापुरी थाना कांड सं0– 35 / 2021 धारा 419, 420 भा0द0वि0 से संबंधित है।

संक्षेप में अभियोजन का वाद यह है कि सूचक के विद्यालय जी.आई.पी. पब्लिक स्कूल पावापुरी में सीटीइटी 2021 का परीक्षा हो रही थी, जिसके प्रथम सत्र के परीक्षा में दो परीक्षार्थी को किसी और के बदले में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, पकड़ाये व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि वह किसी संबंधी के बदले परीक्षा दे रहे थे।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। इनका यह भी कथन है कि आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। धारा 420 भा0द0वि0 का आरोप आवेदक पर लागु नहीं होता है, धारा 419 भा0द0वि0 एवं बिहार परीक्षा अधिनियम जमानतीय है। इनका आगे कथन है कि अन्य सह–अभियुक्तों को बी0पी0 नं0– 162 / 2021 एवं बी0पी0 नं0– 166 / 2022 एवं 1350 / 2022 के द्वारा जमातन का लाभ दिया गया है। आवेदक अनुसंधान में सहयोग करने के लिए पूर्णतः तैयार है। आवेदक दिनांक 24.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः इसे जमानत का दिया जाए।

विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक श्री महेश सिंह यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस केस से संबंधित अन्य सह–अभियुक्त गोपी कुमार बी0पी0 नं0– 162 / 2021, राकेश कुमार उर्फ सागर कुमार को बी0पी0 नं0– 166 / 2022 एवं मुकेश कुमार को बी0पी0 नं0– 1350 / 2022 के द्वारा जमातन का लाभ दिया गया है। आवेदक का केस भी जमानत प्राप्त अभियुक्तों के सामान है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 24.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक / अभियुक्त राकेश कुमार को 10,000 / – रूपये के जमानत एवं उसी राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत, जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(हसमुद्दीन अंसारी)
सत्र न्यायाधीश,
नालन्दा, बिहारशरीफ।
18 / 10 / 2022